क्रम-संख्या–186

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 18 नवम्बर, 2025

कार्तिक 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 204 / 79-वि-1–2025-2-क-16-2025
लखनऊ, 18 नवम्बर, 2025

———————

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2025) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–5 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 का संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023 की धारा 4 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023, की धारा 4 की उपधारा (2) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(क) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद पर हो या रहा हो; या''

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार इस अध्यादेश द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

———

No. 204(2)/LXXIX-V-1–2025-2-ka-16-2025
Dated Lucknow, November 18, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Sewa Chayan Aayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 15 of 2025) promulgated by the Governor. The Uccha Shiksha Anubhag-5 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

(U.P. ORDINANCE NO. 15 OF 2025)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to amend the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the *official Gazette.*

Amendment of Section 4 of U.P. Act no. 15 of 2023

2. In sub-section (2) of Section 4 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023, for clause (a), the following clause shall be *substituted,* namely:-

" (a) is holding or has held the post of Principal Secretary to the State Government or a post equivalent thereto; or"

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in respect of the provisions made by this Ordinance, by order published in the *Gazette,* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 243 राजपत्र–2025–(750)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 70 सा0 विधायी–2025–(751)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

243 RPH (vidhaika-2025 adhyadesh folder) 2025 data 4e